5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

174

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

द्वारा आज दि. 16/01/17 प्रस्तुत

निगरानी कमांक /एक/2017 दिनांक– /01/2017

निग0 226-I/17

1– श्रीमति मुन्ना तनय सुनका चमार,

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2– सरजुवा तनय ननुवा चमार ,

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

.................आवेदकगण

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदक

स्वमेव निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण द्वारा यह स्वमेव निगरानी इस माननीय न्यायालय में ग्राम डुमरउ मौटा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 32/2 रकवा 0.400 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक एक मुन्ना तथा खसरा नंबर 37/2 रकवा 0.900 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 02 सरजुवा का नाम राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करवाने का आदेश, संबंधित तहसीलदार को जारी करने वावद प्रस्तुत कर रहे हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम डुमरउ मौटा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 32 रकवा 0.599 हैक्टेयर पठार तथा खसरा नंबर 37 रकवा 1.197 हैक्टेयर गौचर, खसरा पांचसाला में सन 1969–70 से 1986–87 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। तदुपरांत उपरोक्त भूमि में से खसरा नंबर 32 को पठार से बंजर तथा खसरा नंबर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 226 /1/2017 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **मुन्ना चमार व अन्य एक वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-1-17	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी, ग्राम डुमरउ मौटा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि, खसरा नंबर 32/2 रकवा 0.400 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक एक मुन्ना तथा खसरा नंबर 37/2 रकवा 0.900 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 02 सरजुवा का नाम राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करवाने का आदेश संबंधित तहसीलदार को जारी करने वावद प्रस्तुत की है। आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ सन 1969–70 से बर्तमान तक के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं, जिनका अवलोकन किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। उपरोक्त भूमि 1969–70 से 1986–87 तक राजस्व रिकॉर्ड/खसरा पांचसाला में खसरा नंबर 32 रकवा 0.599 हैक्टेयर पठार तथा खसरा नंबर 37 रकवा 1.197 हैक्टेयर गौचर दर्ज थी। तदुपरांत उपरोक्त भूमि में से खसरा नंबर 32 को पठार	

से बंजर तथा खसरा नंबर 37 को गौचर से बंजर बर्ष 1987–88 में कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश से दर्ज किया गया। बर्ष 1988–89 में खसरा नंबर 32 में से 0.400 हैक्टेयर भूमि आवेदक कमांक एक तथा खसरा नंबर 37 में से 0.900 हैक्टेयर भूमि आवेदक कमांक दो के नाम तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा भूमिस्वामी दर्ज की गई, जो कि खसरा पांचसाला के कॉलम कमांक 16 में लालस्याही सके दर्ज है। जिसके उपरांत से लगातार आवेदकगण के नाम खसरा कमांक 32/2 रकवा 0.400 हैक्टेयर पर मुन्ना तनय सुनका तथा खसरा कमांक 37/2 रकवा 0.900 हैक्टेयर पर सरजुवा तनय नुनवा का नाम दर्ज हो गया था, जो लगातार खसरा पांचसाला में 2010–11 तक दर्ज रहा। बाद में उपरोक्त भूमि का कंप्यूटर अभिलेख तैयार करते समय आवेदकगण के नाम कि स्थान पर म0 प्र0 शासन दर्ज किया गया है। आवेदकगण के अनुसार उनके द्वारा कई बार पटवारी हल्का एवं तहसीलदार से उपरोक्त भूमि उनके नाम पर पूर्ववत दर्ज करने को कहा गया, तहसीलदार को आवेदनपत्र भी प्रेषित किये गये, किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला बर्ष 1969 से 2010–11 तक के प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदकगण के नाम वादभूमि पर लगतार भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहे हैं। किन्तु बर्तमान अभिलेख के बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के म0प्र0 शासन दर्ज कर दिये गये हैं, यदि किसी राजस्व अभिलेख में कोई लिपिकीय त्रुटि होती भी है तो

उसे तहसीलदार मात्र संहिता की धारा 115–116 के तहत ही एक साल अंदर विधिवत प्रकिया का पालन करके संबंधित को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करके सुधार कर सकते हैं । बिना किसी पर्याप्त कारण के नाम बिलोपित करना विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के बिपरीत है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाती है, संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि ग्राम डुमरउ मौटा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 32/2 रकवा 0.400 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक एक मुन्ना तथा खसरा नंबर 37/2 रकवा 0.900 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 02 सरजुवा का नाम राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य